न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(सुबे सिंह यादव,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 87/2017

प्रभूलाल पुत्र भेरूलाल जाति मीणा निवासी कुण्डिया पोस्ट खोहल्या तहसील उनियारा जिला टोंक राज0

––अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार उनियारा

–प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

दिनांक 04.01.2018

निर्णय

अपील अपीलाण्ट संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार उनियारा को रजिस्टर्ड डाक द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 04.08.2017 को प्रेषित कर अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गईः–

भेरू लाल पुत्र स्व0 श्री किशन मीना की खातेदारी की भूमि का सीमाज्ञान करने की तिथि एंव वार प्रार्थी ने राज्य सरकार के नियमानुसार सरकारी फीस जमा करवा रखी है. कोई बकाया नही है। राजस्व भूमि पर कच्चे एंव पक्के मकानो की निर्माणधारियो की सूचि क्या यह अतिकमि नही है। ग्राम कुण्डियो मे राजस्व भूमि पर सम्पूर्ण अतिकमियो की सूचि जिसमे राजस्व रिकार्ड मे दर्ज रास्तो समाप्त करने वाले तालाबो समाप्त करने वाले देशी बबूलो को काटने वाले ख0नं0 434 रकबा 0.17 ऐयर मे जमाबंदी मे सूरज पुत्र दयाला मीना का जीवित या मृत्यू का प्रमाण पत्र यदि जीवित हो तो पहचान पत्र राशन कार्ड की प्रतिलिपि क्या खसरा नं0 434 सार्वजनिक है। ग्राम कुण्डिया का सम्पूर्ण ट्रेस मय खसरा नम्बर मय जमाबंदी रिकार्ड सहित देने बाबत खसरा 434 मे मीठालाल पुत्र भेरूलाल मीना एंव चन्द्रशेखर पुत्र भेरू लाल मीना का कितना हिस्सा है।

अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुऐ। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार उनियारा को पत्र कमांक 1812 दिनांक 13.11.2017,1903 दिनांक 22.11.2017,1988 दिनांक 30.11.2017,1955 दिनांक 07.12.2017 व अर्द्वशासकीय पत्र कमांक 2070 दिनांक 18.12.2017 द्वारा जवाब भिजवाने हेतु निर्देशित करने पर लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार उनियारा ने पत्र कमांक 4887 दिनांक 28.12.2017 से जवाब प्रेषित किया है। जवाब के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलार्थी को सूचना प्रेषित ना कर जवाब के साथ संलग्न कर प्रेषित की है।अतः निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार उनियारा तथा अपीलार्थी को लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार उनियारा से प्राप्त सूचना प्रेषित की जावे।

(सुबे सिंह यादव)
जिला कलेक्टर एंव
प्रथम अपील अधिकारी टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक